17-4-25

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

पत्रावली पेश हुई निर्णय पृथक
से लिखकर प्रकरण खुले न्यायालय
में सुनाया गया निर्णय प्रति पृथक
से तहसीलदार अलवर को
भिजवाई जाकर बाद तकमील
पत्रावली [illegible] से कम हो
बाद दाखिल दफ्तर होवे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

[illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी –श्री यशार्थ शेखर (I.A.S.)

मु.नं.	तारीख दायर	किस्म	तारीख निर्णय
03/54	11.12.2024	136 LR Act	17.04.2025

उनवान

1:–श्रीमती बीना देवी पत्नी श्री महेन्द्र प्रताप सिंह जाति राजपुत उम्र करीब 71 साल निवासी 4/70–71 काला कुंआ हाउसिंग बोर्ड, अलवर जिला अलवर–राजस्थान

प्रार्थी

बनाम

2:–राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अलवर जिला अलवर लैण्ड होल्डर,

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एल.आर. एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 318 रकबा 0.4600, 319 रकबा 0.2200, 320 रकबा 0.3400 कुल किता 3 रकबा 1. 0200 हैक्टेयर जो साबिक खसरा नम्बर 245 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा से कायम हुए है वाके ग्राम दिवाकरी तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान मे विद्यमान हैं मिन प्रार्थीया का वास्तविक नाम श्रीमती बीना देवी पत्नी श्री महेन्द्र प्रताप सिंह हैं मिन प्रार्थीया द्वारा अन्य 54 व्यक्तियो के साथ मिलकर यानि कुल 55 लोगो द्वारा उपरोक्त आराजी जयें रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 20/11/1992 को तय प्रतिफल अदा कर बाकब्जा क्रय की गई बयनामा में केता कम संख्या 41 पर मिन प्रार्थीया बीना देवी पत्नी श्री महेन्द्र प्रताप सिंह का नाम दर्ज हैं और बाद क्रय उक्त आराजी में निहित भाग की मिन प्रार्थीया बोनाफाईड परचेजर की हैसियत से काबिज रह कर बतोर खातेदार चली आ रही हैं बयनामा की प्रति संलग्न है उक्त बयनामा के आधार पर मिन प्रार्थीया के हक में इंतकाल बैय संख्या 64 दिनांक 22/2/1993 को स्वीकार किया गया मुताबिक बयनामा व मुताबिक इंतकाल बैय के आधार पर ही राजस्व रिकॉर्ड सैटलमेन्ट व जमाबन्दी आदि में मिन प्रार्थीया का नाम श्रीमती बीना देवी पत्नी श्री महेन्द्र प्रताप सिंह जाति राजपुत दर्ज होना चाहिए था जबकि प्रार्थीया को तहसीलदार साहब/पटवारी हल्का द्वारा बताया गया कि मुताबिक बयनामा व मुताबिक इंतकाल बैय प्रार्थीया के नाम का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड सैटलमेन्ट/जमाबन्दी आदि में हो जावेगा प्रार्थीया चिन्ता ना करे प्रार्थीया भी इसी भरोसे मे रही कि उसके नाम का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आदि में मुताबिक बयनामा, मुताबिक इंतकाल बैय हो गया होगा।

इसके बाद हाल सैटलमेन्ट सम्वत 2051 में राजस्व विभाग/सैटलमेन्ट विभाग के अधिकारी/कर्मचारीयो ने मिन प्रार्थीया का नाम श्रीमती बीना देवी पत्नी श्री महेन्द्र प्रतापसिंह के स्थान पर श्रीमती मीना देवी पत्नी महेन्द्र सिंह दर्ज कर दिया गया यही नाम ताहाल राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

रिकॉर्ड जमाबन्दी आदि में इन्द्राज चला आ रहा है जिस त्रुटि की मिन प्रार्थीया को पूर्व में कोई जानकारी नहीं रही और ना ही राजस्व रिकॉर्ड की आवश्यकता हुई।

उक्त बयनामा व इंतकाल बैय के आधार पर ही हाल सैटलमेन्ट सम्वत 2051 व इसके बाद कायम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आदि में मिन प्रार्थीया का नाम श्रीमती बीना देवी पत्नी श्री महेन्द्र प्रताप सिंह ही दर्ज करना चाहिए था लेकिन राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारीयो ने बयनामा व इंतकाल बैय के विपरीत हाल सैटलमेन्ट सम्वत 2051 व इसके बाद कायम ताहाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आदि मे प्रार्थीया का नाम श्रीमती बीना देवी पत्नी श्री महेन्द्र प्रताप सिंह के स्थान पर श्रीमती भीना देवी पत्नी महेन्द्र सिंह दर्ज कर दिया है जो दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत है

प्रार्थीया ने यही समझा कि उसका नाम मुताबिक बयनामा व इंतकाल बैय आधार पर सही नाम श्रीमती बीना देवी पत्नी श्री महेन्द्र प्रताप सिंह ताहाल राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद हो गया होगा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आदि की जरूरत भी नही हुई। तथा प्रार्थीया को अब हाल में ही लोन की जरूरत वास्ते संबंधित बैंक अधिकारी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी लाने को कहा जिस पर प्रार्थीया द्वारा ताहाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आदि प्राप्त की व अवलोकन किया तो प्रार्थीया के उक्त गलत नाम के अंकन का पता चला इस बाबत पूर्व मे जानकारी नहीं हो सकी। प्रार्थीया के गलत नाम का इन्द्राज के कारण ही मिन प्रार्थीया को लोन व अन्य विभागीय कार्य करने में भारी दुविधाओ का सामना करना पड रहा है।

प्रार्थीया का हाल सैटलमेन्ट सम्वत 2051 व इसके बाद ताहाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आदि में सही नाम का इन्द्राज किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। ताकि प्रार्थीया को लोन लेने व अन्य विभागीय कार्यवाही कर सके संबंधित पटवारी हल्का द्वारा बताया कि पहले नाम दुरुस्त करावे। मिन प्रार्थीया ने अब दिनांक 4/12/2024 को अप्रार्थी से सम्पर्क कर उक्त गलत नाम दुरूस्त करने का निवेदन किया तो उन्होने बिना अदालती आदेश के ऐसा करना सम्भव नही हैं कहा। इसके बाद मिन प्रार्थीया द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया गया और सलाह ली जिस पर अधिवक्ता साहब ने बताया कि अदालत श्रीमान के समक्ष उक्त अनुवानी कार्यवाही करनी पडेगी। जिस पर यह प्रार्थनापत्र अविलम्ब बिना देरी के पेश है।

उक्त आराजी हाल खसरा नम्बर 318 रकबा 0.4600, 319 रकबा 0.2200, 320 रकबा 0.3400 कुल किता 3 रकबा 1.0200 हैक्टेयर जो साबिक खसरा नम्बर 245 रकबा 4 बीधा 1 विस्वा से कायम हुए है वाके ग्राम दिवाकरी तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान में स्थित है जिसमे 1/55 भाग मिन प्रार्थीया के नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी ताहाल सम्वत 2071–2074 में खातेदार काश्तकार दर्ज है उक्त आराजी वाके ग्राम दिवाकरी तहसील अलवर जिला अलवर में हैं व मुकदमा पक्षकारान अदालत श्रीमान के सीमा क्षेत्र के है इसलिए यह प्रार्थनापत्र अदालत श्रीमान के श्रवणयोग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर न्यायहित में प्रार्थीया का नाम उक्त आराजी हाल खसरा नम्बर 318 रकबा 0.4600, 319 रकबा 0.2200, 320 रकबा 0.3400 कुल किता 3 रकबा 1.0200 हैक्टेयर जो साबिक खसरा नम्बर 245 रकबा 4 बीधा 1 विस्वा से कायम हुए है वाके ग्राम दिवाकरी तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान की बाबत हाल सैटलमेन्ट सम्वत 2051 व इसके बाद कायम ताहाल राजस्व

अखण्ड अधिवक्ता
अलवर

रिकॉर्ड जमाबन्दी आदि में दर्ज नाम श्रीमती मीना देवी पत्नी श्री महेन्द्र सिंह को दुरूस्त कर के स्थान पर मुताबिक बयनामा व इंतकाल बैय के आधार पर प्रार्थीया का सही नाम श्रीमती बीना देवी पत्नी श्री महेन्द्र प्रताप सिंह बाकी इन्द्राज बदस्तुर दर्ज किए जाने की आज्ञा सादिर फरमाई जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार अलवर से रिपोर्ट प्राप्त की गई प्राप्त रिपोर्ट कमॉक:भू0अ0/2025/572 दिनॉक 11–2–2025 के द्वारा अवगत कराया कि:–

1:–मुताबिक जमाबन्दी हाल में आ.ख.न0 318/0.46, 319/0.22, 320/0.34, किता 3 रकबा 1.42 है. वाके ग्राम दिवाकरी में प्रार्थिया श्रीमती मीनादेवी पत्नी महेंद्रसिंह हि01/55 जाति राजपूत के नाम खातेदारी दर्ज रिकोर्ड है।

2:–मुताबिक भू–प्रवन्ध विभाग जमाबन्दी मिसल बन्दोबस्त 2051–2070 वाके ग्राम दिवाकरी तहसील अलवर राजस्व रिकार्ड की स्थिति निम्नानुसार है

हाल रिकार्ड अनुसार		सम्वत 2051 की स्थिति अनुसार	
हाल ख0 न0	रकबा हैक्टर मे	खसरा नम्बर	रकबा (बीघा/बिस्वा मे)
318	0.46	245	4 बीघा 1 बिस्वा
319	0.22		
320	0.34		

मुताबिक विक्रय पत्र रजिस्टर्ड दिनांक 6/2/93 क्रम संख्या 137 का जर्ये नामान्तकरण संख्या 64 क्रेता श्रीमती बीनादेवी स्त्री महेंद्रप्रतापसिंह राजपूत नि04/170–171 काला कुआं अलवर के पक्ष में साबिक खसरा नम्बर 245 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा स्वीकृत होकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा निष्पादित हुआ।

मुताबिक भू–प्रबन्ध विभाग जमाबन्दी मिसल बन्दोबस्त 2051–2070 तहरीर करते वक्त श्रीमती बीनादेवी स्त्री महेंद्र प्रताप सिंह राजपूत के स्थान पर श्रीमती मीनादेवी पत्नी महेंद्र सिंह दर्ज हुआ जो वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में चला आ रहा है प्रार्थिया द्वारा वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में खातेदार श्रीमती मीनादेवी पत्नी महेंद्रसिंह के बजाय श्रीमती बीनादेवी स्त्री महेंद्र प्रताप सिंह दुरुस्त का अनुतोष चाहा गया है

अतः मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का के जयें नामा0 स0 64 स्वीकृत के अनुसार श्रीमती मीनादेवी पत्नी महेंद्रसिंह के बजाय श्रीमती बीनादेवी स्त्री महेंद्र प्रताप सिंह राजस्व रिकोर्ड में दुरुस्त का अनुतोष चाहा गया जो प्रस्तावित है। जाँच रिपोर्ट श्रीमान की सेवा सादर प्रेषित है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत भू0 अभिलेख अधिकारी के अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्रद्वत किये गये है। भू0 अभिलेख अधिकारी भूमि की प्रकृति को नहीं बदल सकता लेकिन अगर भू–प्रबन्ध के दौरान् कोई गलत इन्द्राज कर दिया है तो उसको दुरूष्त किया जा सकता है।

आर.आर.टी.2018(2) 1158 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पैरा–7 में यह अभिनिंधारित किया गया है कि बदोबस्त के दौरान् राजस्व अभिलेख में की गई त्रुटि को दुरूष्त किये जाने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्राप्त है।

आदेश

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न प्रा0पत्र, राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट का अवलोकन किया प्रार्थी द्वारा शुद्विकरण के लिये उक्त संशोधन के सम्बन्ध मे वांछित रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है तथा जिसका सत्यापन तहसीलदार तहसील अलवर की रिपोर्ट एंव अभिशंषा से भी होता है प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत बयनामा दिनॉक 06–2–1993 के अनुसार अंकन राजस्व रिकार्ड मे नही किया गया है अंकन गलत किया गया है जिसकी पुष्टि तहसीलदार अलवर रिपोर्ट एंव दस्तावेजात से होती है

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि आ0ख0न0 318/0.46, 319/0.22, 320/0.34, किता 3 रकबा 1.42 है. वाके ग्राम दिवाकरी तहसील अलवर मे अंकितं प्रार्थिया नात श्रीमती मीनादेवी पत्नी महेंद्र सिंह हि0 1/55 जाति राजपूत के स्थान पर श्रीमती बीना देवी पत्नि श्री महेन्द्र प्रताप सिंह हि0 1/55 जाति राजपूत खातेदार राजस्व रिकार्ड अंकित किया जाकर दुरूस्त किया जावे शेष प्रृविष्टिया यथावत रहेगी।

यशार्थ शेखर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

निर्णय आज दिनांक 17-04–2025 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर सुनाया गया।

यशार्थ शेखर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर
उपखण्ड अधिकारी
अलवर